न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–357 सन् 2015

उर्मिला देवी.................वादिनी

बनाम

सुरेन्द्र राय वो अन्य........................प्रतिवादीगण

दिनांक– 23.05.2022

उभय पक्ष अनुपस्थित है उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादीगण की ओर से स्थानीय निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 08.06.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादीगण का आवेदन में कथन है कि वादीगण ने इंतनाई आवेदन दाखिल किया है। प्रस्तुत वाद में विवादित एराजी के वस्तुस्थिति को अभिलेख पर आना अत्यंत आवश्यक है जिसके लिए किसी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति होना युक्तिसंगत है। वादीगण न्यायालय के आदेशानुसार अधिवक्ता आयुक्त का शुल्क जमा करने को तैयार है। अतः निवेदन है कि किसी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मांगा लिया जाए।

उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद वादिनी की ओर से बंटवारा हेतु दाखिल किया गया है और प्रतिवादीगण के विरूद्ध कंडिका–1 वादपत्र में वर्णित भूमि में 1/2 हिस्सा बंटवारा की डिकी हेतु दाखिल किया है। वादीगण की ओर से दिनांक 08.06.2021 को आदेश 39 नियम 1 वो 2 सी0पी0सी0 के अंतर्गत इंतनाई आवेदन दाखिल कर कहा है कि प्रश्नगत विवादित एराजी में वादीगण वो प्रतिवादीगण का आधा–आधा का हिस्सेदार है। परंतु प्रतिवादी

वादीगण को तंग वो परेशान करने की नियत से विवादित एराजी में नाजायज ढंग से दिवाल कायम करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन पोषणीय है ताकि विवादित एराजी से संबंधित वर्तमान वस्तुस्थिति अभिलेख पर प्रस्तुत किया जा सके। अतः इस वाद में विवादित एराजी से संबंधित स्थल निरीक्षण करने हेतु अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 08.06.2021 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 2500/–रूपया नजारत में जमा करें।

वाद दिनांक 30.05.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।